

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांक :- प.2/बा.शि.फा./गार्गी/2023/

दिनांक :- 17/10/2024

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
समस्त।

विषय:-गार्गी पुरस्कार योजना (प्रथम एवं द्वितीय किस्त) एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2024-25 के ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30.11.2024 तक भरवाये जाने के संबंध में।

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा संचालित गार्गी पुरस्कार योजना (प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त) एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2024-25 में पात्र बालिकाओं से शाला दर्पण पोर्टल (बालिका शिक्षा प्रोत्साहन टैब) पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाने जाने के लिए पोर्टल प्रारम्भ किया गया है, आवेदन की अन्तिम तिथि 30.11.2024 है।

इस संबंध में आप कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ समस्त निजी एवं राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पात्र बालिकाओं से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30.11.2024 तक भरवाये जाने हेतु पाबन्द करें, ताकि सभी पात्र बालिकाएँ पुरस्कार से लाभान्वित हो सकें। यदि आपके जिले की कोई भी पात्र बालिका पुरस्कार से वंचित रहती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।

(तेजपाल मूण्ड)
सचिव

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3. संयुक्त शासन सचिव महोदय, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर
4. निदेशक, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर
5. उपायुक्त, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, समसा. शिक्षा संकुल जयपुर।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रभावी प्रबोधन के क्रम में।
8. प्रभारी अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, मा.शि.नि., बीकानेर।
9. उप निदेशक शाला दर्पण प्रकोष्ठ समसा जयपुर।
10. उप निदेशक मॉडल स्कूल प्रकोष्ठ समसा जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Tejal Moond
Designation: Secretary
Date: 2024.10.17 10:14:34 IST
Reason: Approved



वर्ष 2024-25 में गार्गी पुरस्कार योजना (प्रथम एवं द्वितीय किस्त) एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के ऑनलाईन आवेदन भरवाये जाने के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश:-

1. गार्गी पुरस्कार योजना (प्रथम किस्त):-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा-2024 एवं स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल की माध्यमिक परीक्षा-2024 में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएँ जो कि वर्तमान शैक्षणिक-सत्र 2024-25 में कक्षा-11 में नियमित अध्ययनरत है, को पुरस्कार की प्रथम किस्त के रूप में राशि 3000/- एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना है।

2. गार्गी पुरस्कार योजना (द्वितीय किस्त):-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा-2023 एवं स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल की माध्यमिक परीक्षा-2023 में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएँ जो कि वर्तमान शैक्षणिक-सत्र 2024-25 में कक्षा-12 में नियमित अध्ययनरत है, को पुरस्कार की द्वितीय किस्त के रूप में राशि 3000/- प्रदान की जानी है।

3. बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना:-


माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा-2024 एवं स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल की उच्च माध्यमिक परीक्षा-2024 में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार स्वरूप राशि 5000/- एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना है।

- उपरोक्त दोनों योजनाओं में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से पात्र बालिकाओं की प्राप्त सूचीनुसार ऑनलाईन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल (बालिका शिक्षा प्रोत्साहन टैब) पर भरे जाने उपरान्त पुरस्कार राशि जन-आधार इन्टीग्रेशन एवं DBT माध्यम से अन्तरित की जायेगी।
 - पुरस्कार प्रमाण-पत्र भी पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- बालिका की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका एवं परिवार जन आधार कार्ड में दर्ज डाटा (बालिका का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक और जेण्डर) एक जैसा होने पर ही आवेदन FINAL SUBMIT होगा।

Signature valid

Digitally signed by Tejpal Moond
Designation: Secretary
Date: 2024.10.17 10:14:34 IST
Reason: Approved

गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया



- आवेदन का प्रथम पृष्ठ खुलने पर बालिका द्वारा वर्तमान अध्ययनरत स्कूल का SR NO. (केवल गार्गी पुरस्कार योजना) एवं परिवार जन-आधार नम्बर, जन-आधार मेम्बर आईडी नम्बर INSERT करने पर जन-आधार से जुड़ा बैंक खाता (FAMILY HEAD/STUDENT) विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा, प्रदर्शित बैंक विवरण सही होने पर ही आवेदन FINAL SUBMIT करना है। प्रदर्शित बैंक विवरण सही नहीं होने पर पहले जन-आधार में बैंक विवरण को सही करवाये जाये।
- Digitally signed by Tejendra Meena
Designation: Secretary
Date: 2024.07.18 10:53:53 IST
Reason: Approved